

असाधारण सामान्य बैठक के लिए नोटिस Notice for Extraordinary General Meeting

सोमवार, 21 जनवरी, 2019, वडोदरा
Monday, 21st January, 2019, Vadodara



निवेशक सेवाएं विभाग:

बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सातवीं मंजिल, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
Email: investorservices@bankofbaroda.com

INVESTORS' SERVICES DEPARTMENT:

Baroda Corporate Centre, 7th Floor, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051.
Email: investorservices@bankofbaroda.com

विषय
CONTENTS

	पृष्ठ सं. Page No.
नोटिस / NOTICE	1
टिप्पणियां / NOTES	3
व्याख्यात्मक विवरण / EXPLANATORY STATEMENT	8
प्रॉक्सी फार्म / PROXY FORM.....	13

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय : मांडवी, बड़ौदा

कार्पोरेट कार्यालय: बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, 'जी' ब्लॉक,

बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बान्द्रा (पूर्व), मुंबई 400 051

(वेबसाइट: www.bankofbaroda.com)

नोटिस

एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखित कार्यों का संचालन करने के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) सोमवार, 21 जनवरी, 2019 को दोपहर 12.00 बजे बैंक ऑफ़ बड़ौदा, "बड़ौदा भवन", सर सयाजी हॉल, भूतल, प्रधान कार्यालय, आर सी दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा - 390007, गुजरात में संपन्न होगी:

मद क्र.1 - बैंक के कर्मचारियों और पूर्णकालिक निदेशकों को शेयर जारी करना.

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित प्रतीत होने पर उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (“अधिनियम”), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (“योजना”) और बैंक ऑफ़ बड़ौदा (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 1998 (“विनियमन”), समय-समय पर यथासंशोधित और भारतीय रिज़र्व बैंक (“भारि. बैंक”), भारत सरकार (“जीओआई”), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (“सेबी”), स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, जो भी लागू हो और/या कोई अन्य प्राधिकारी इस संबंध में जैसी भी आवश्यकता हो, के अनुमोदन, सहमति, अनुमति और मंजूरी (यदि कोई है) के अधीन और ऐसे अनुमोदन देने के लिए ऐसी सभी शर्तों, नियमों और उनमें संशोधन जैसा उनके द्वारा निर्धारित किया जाए के अधीन और जिससे बैंक के निदेशक मंडल का सहमत होना आवश्यक हो और सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन 2014 के प्रावधानों के अधीन, आज की तारीख तक यथा संशोधित (इसके बाद सेबी विनियमन के रूप में संदर्भित किया जाएगा), भारतीय रिज़र्व बैंक से और सभी अन्य संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित किए गए ऐसे दिशानिर्देश (यदि कोई हैं) के अनुसरण में, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड अधिनियम, 1992, विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 और समय-समय पर अन्य सभी लागू कानून के अंतर्गत अधिसूचना, परिपत्र और स्पष्टीकरण और सेबी (सूचीयन, दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 (सेबी (एलओडीआर) आज की तारीख तक यथासंशोधित, बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया (एनएसई) लिमिटेड नामक स्टॉक एक्सचेंजों के साथ बैंक द्वारा किए गये एकीकृत सूचीयन करार के प्रावधानों के अधीन और किसी भी समय किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन, अनुमति और मंजूरी और ऐसे अनुमोदन, अनुमति और मंजूरी देते समय ऐसे प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित या दिए गए अनुदेशों के अनुरूप कोई शर्तें और संशोधन जिससे बैंक के निदेशक मंडल का सहमत होना और उसे स्वीकार करना आवश्यक हो, बैंक के शेयरधारकों की सहमति जो एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद “निदेशक मंडल” के रूप में संदर्भित किया जाएगा जिसे निदेशक मंडल ने गठित किया है/करेगा, ऐसी समिति जो इस संकल्प द्वारा प्रदान की गई शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी, का समावेश माना जाएगा) को प्रदान की जा रही है जिससे वे एक या उससे अधिक श्रृंखला में ऐसे

Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda – 390 006

Corporate Office: Baroda Corporate Centre, C-26, “G” Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), MUMBAI 400 051

(website: www.bankofbaroda.com)

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of Bank of Baroda will be held on **Monday, 21st January 2019 at 12.00 Noon** at Bank of Baroda, "Baroda Bhavan", Sir Sayaji Hall, Ground Floor, Head Office, R.C. Dutt Road, Alkapuri, Vadodara - 390007, Gujarat., to transact the following business:

Item No.1 - Issue of Shares to Employees and Whole Time Directors of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as a Special Resolution:

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (“The Act”), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (“The Scheme”) and Bank of Baroda (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (“The Regulations”), as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions, and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (“RBI”), the Government of India (“GOI”), the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), Stock Exchange(s) in which Bank’s equity shares are listed, wherever applicable and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the provisions of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, as amended up to date (hereinafter referred to as SBEB Regulations), guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI and all other relevant authorities. Notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992, Foreign Exchange Management Act, 1999 and all other applicable laws from time to time and subject to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI (LODR) as amended upto date, Uniform Listing Agreement entered into by the Bank with the Stock Exchanges namely BSE Limited (BSE) and the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and subject to any applicable, approval (s), permission (s) and sanction (s), at any stage, of any authority and subject to any condition (s) and modification (s) as may be prescribed or imposed by such authorities while granting such approval (s), permission (s) and sanction (s) and which may be agreed to and accepted by the Board of Directors of the Bank, the consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as “the Board” which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, grant, offer,

कर्मचारियों, जो भारत में या भारत के बाहर कार्य कर रहे हैं, जिनसे तात्पर्य है, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यपालक निदेशक(कों) (“कर्मचारी”) जैसा भी निदेशक मंडल द्वारा निर्णय लिया जाए, कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (यहां के बाद “बीओबी -ईएसपीएस” के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के अंतर्गत और निदेशक मंडल द्वारा अपने पूर्ण विवेक से निर्धारित किए गए ऐसे नियमों और शर्तों पर ऐसे मूल्य या मूल्यों पर लाभांश के भुगतान सहित इस रूप में जिससे कि भारत सरकार की धारिता 52% से कम न हो, प्रत्येक रू. 2/- (रूपए दो मात्र) के अंकित मूल्य के कुल 10,00,00,000 (दस करोड़) के नए इक्विटी शेयर इस रूप में सृजित, प्रदान, ऑफर, जारी और आवंटित कर सकें, जो सभी उद्देश्यों हेतु व सभी संदर्भों में बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप माने जाएंगे.

“यह भी संकल्प किया जाता है कि बैंक एसबीईबी विनियमन के विनियमन 15 में बताए गए अनुसार लेखांकन नीतियों का अनुपालन करेगा.”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल “बीओबी -ईएसपीएस” के अंतर्गत जारी एवं आवंटित इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए एकीकृत सूचीयन करार और अन्य लागू दिशानिर्देशों, नियमों और विनियमनों के प्रावधानों और शर्तों के अधीन जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, वहां सूचीबद्ध करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है.

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल और समिति को एतद्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि “बीओबी -ईएसपीएस” को लागू करने, निर्धारित करने, मूल्यांकित करने, उस पर निर्णय लेने और उसे प्रभावी बनाने के लिए ऐसे नियमों और शर्तों पर जो निदेशक मंडल द्वारा बनाए गए और “बीओबी -ईएसपीएस” के नियमों और शर्तों में मूल्य, अवधि, पात्रता मानदंड के संबंध में कोई संशोधन, परिवर्तन, विविधिकरण या आशोधन करने या “बीओबी -ईएसपीएस” को इस तरीके से रद्द करने, हटाने, समाप्त करने या संशोधित करने, जैसा कि निदेशक मंडल अपने एकल विवेकाधिकार से निर्धारित करे और “बीओबी -ईएसपीएस” को लागू करने में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों, कठिनाइयों या शंकाओं का भी समाधान कर सकें और इस संकल्प के प्राधिकार को शेयरधारकों द्वारा दिया गया ऐसा अनुमोदन माना जाएगा कि उनकी अतिरिक्त सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता के बगैर प्रस्तावित “बीओबी -ईएसपीएस” के अनुसरण में शेयर जारी किए जा सकें.

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को एतद्वारा एसबीईबी विनियमन और अन्य लागू कानूनों, दिशानिर्देश, नियमों और विनियमनों के अनुपालन में उपरोक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए बैंक के निदेशक मंडल की समिति, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक(कों) या ऐसे अन्य अधिकारी को जैसा भी उचित लगे, अपनी समस्त अथवा किसी भी शक्ति को प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है.

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

पी. एस. जयकुमार

पी. एस. जयकुमार

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई

दिनांक : 14 दिसंबर, 2018

issue and allot, in one or more tranches, to such employees, whether working in India or outside India, which expression shall include the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director (s) of the Bank (“The Employees”), as may be decided by the Board, aggregating up to 10,00,00,000 (Ten Crore) new equity shares of face value of Rs.2/- (Rupees Two only) each, ranking *pari passu* with the existing equity shares of the Bank for all purposes and in all respects, including payment of dividend, under an Employee Stock Purchase Scheme (hereinafter referred to as “BOB-ESPS”), at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board in its absolute discretion in such a way that Government of India holding does not come below 52.00%.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Regulation 15 of the SBEB Regulations.

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares issued and allotted under the “BOB-ESPS”, on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board and Committee thereof be and is hereby authorized to implement, formulate, evolve, decide upon and bring into effect the “BOB-ESPS” on such terms and conditions as may be decided by the Board and to make any modification(s), change(s), variation(s), alteration(s) or revision(s) in the terms and conditions of the BOB-ESPS”, from time to time, including but not limited to, amendment(s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the “BOB-ESPS” in such manner as the Board may determine in its sole discretion and also to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in relation to the implementation of the “BOB-ESPS” and to the shares to be issued pursuant to the proposed “BOB-ESPS” without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders shall be deemed to have given their approval there to expressly by authority of this resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to a Committee (s) of Directors, the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director (s) or such other officer (s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolutions in compliance with the SBEB Regulations and other applicable laws, guidelines, rules and regulations.”

By Order of Board of Directors
For BANK OF BARODA

P. S. Jayakumar

P. S. JAYAKUMAR
Managing Director & CEO

Place: Mumbai

Date: 14th December 2018

नोट:
1. व्याख्यात्मक विवरण:

बैठक के व्यवसाय के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण जानकारी के साथ व्याख्यात्मक विवरण एतद्वारा संलग्न है।

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति :

बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र शेयरधारक बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए अपने स्थान पर (बैंक के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के अलावा अन्य को) प्रॉक्सी नियुक्त कर सकेंगे और यह आवश्यक नहीं होगा कि नियुक्त प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक हो. प्रॉक्सी का कोई भी विलेख तभी वैध माना जाएगा, जब वह इस नोटिस के साथ संलग्न फॉर्म “बी” में भरा गया हो. उक्त प्रॉक्सी तभी प्रभावी मानी जाएगी यदि वह बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् **16 जनवरी, 2019 को सांय 4.00 बजे** तक या उससे पूर्व बैंक ऑफ बड़ौदा, के.वाय.सी.ए एम एल विभाग, 7वां तल, बड़ौदा भवन, आर एस नं. 576, आर.सी.दत्त रोड, सेंटर प्वाइंट के सामने, अलकापुरी, बड़ौदा-390 007 स्थित प्रधान कार्यालय में प्राप्त हो जाए और इसके साथ मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार पत्र यदि कोई हो, जिसके अंतर्गत वह हस्ताक्षरित हो, अथवा नोटरी पब्लिक या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित ऐसे मुख्तारनामा अथवा प्राधिकार की सत्य प्रतिलिपि यदि पूर्व में बैंक में जमा और पंजीकृत न किया गया हो, संलग्न किया जाए.

हालांकि, इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा.

विनियमन 70 (vi) के अनुसार प्रॉक्सी संबंधी दस्तावेज जारी करने वाला व्यक्ति उस बैठक में व्यक्तिगत रूप से वोट देने हेतु पात्र नहीं होगा जिस बैठक के लिए वह दस्तावेज जारी किया गया हो.

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी या निकाय कार्पोरेट के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे एक यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति, जिसे उस बैठक, जिसमें यह पारित किया गया था, के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में अभिप्रमाणित न किया गया हो, बैठक की तारीख से चार दिन पूर्व अर्थात् **16 जनवरी, 2019** को बैंक का कार्य समय समाप्त होने अर्थात् **सांय 4.00 बजे** तक या इससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में उपरोक्त पते पर जमा न कर दिया गया हो.

4. अंतिम तारीख

असाधारण सामान्य बैठक में मत देने और प्रतिभागिता करने के लिए पात्र शेयर धारकों की सूची निर्धारित करने के उद्देश्य से **14 जनवरी, 2019** को अंतिम तारीख के रूप में निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है.

5. मताधिकार :

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार इस प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख को केंद्रीय सरकार के अलावा **बैंक का कोई भी शेयरधारक स्वयंधारित शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार प्रयुक्त करने का पात्र नहीं होगा.**

अधिनियम की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अध्यक्षीन उपर्युक्त में वोट देने के लिए पात्र प्रत्येक शेयरधारक, जो कंपनी नहीं है, वर्तमान में एक व्यक्ति है या प्रॉक्सी द्वारा या जो कंपनी के रूप में विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा, या प्रॉक्सी द्वारा नामित है, उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट देने हेतु पात्र होगा.

NOTES:
1. Explanatory Statement:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. Appointment of Proxy:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY (OTHER THAN AN OFFICER OR AN EMPLOYEE OF THE BANK) TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form “B” as annexed with this Notice. The Proxy, in order to be effective, must be received at Head Office situated at Bank of Baroda, KYC-AML Department, 7th Floor, Baroda Bhavan, R. S. No. 576, R C Dutt Road, Opp. Centre Point, Alkapuri, Vadodara -390007 not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the **4.00 p.m. on 16th January 2019** together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

However, the proxy so appointed will not have right to speak at the meeting.

As per the Regulation 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

3. Appointment of Authorised Representative:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or a Body Corporate unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank at the address given above, not later than four days before the date of meeting i.e. on or before **4.00 p.m. on 16th January 2019**.

4. Cut-Off Date:

It has been decided to fix **14th January 2019** as Cut-Off Date for the purpose of determining the list of Shareholders entitled to vote and participate in the EGM.

5. Voting Rights:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no Shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the Shareholders of the Bank as on the Cut-off Date fixed for the purpose.**

Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every Shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a Company, is present in person or by proxy or who being a Company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote for each share held by him/her.

विनियमन के विनियम 10 के अनुसार, यदि शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर हैं तो मतदान के लिए रजिस्टर में अंकित प्रथम व्यक्ति को उन शेयरों का एकलधारक समझा जायेगा. अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं तो प्रथम व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का पात्र है और केवल वही बैठक में नामांकन करने, चुनाव लड़ने तथा मत देने का पात्र होगा.

6. उपस्थिति -पर्ची सह प्रवेश पत्र (उपस्थिति पर्ची) :

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, इस नोटिस के साथ ई-वोटिंग के लिए लॉग-इन आईडी एवं पासवर्ड के आवश्यक विवरण सहित उपस्थिति पर्ची -सह प्रवेश पत्र संलग्न है. शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों के पास रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मत देने का विकल्प है, जो रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाहते वे असाधारण बैठक की तारीख को बैठक स्थल पर अपना मत दे सकते हैं. ऐसे सभी शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों /प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उपस्थिति पर्ची में प्रिंट किए गए विवरण की जांच कर लें और यदि कोई खाली स्थान हो तो उसे भरें, उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उसे बैठक के स्थान पर सुपुर्द कर दें. प्रॉक्सी /शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि, उपस्थिति पर्ची -सह प्रवेश पत्र में स्पष्ट करें कि वह "प्रॉक्सी" है या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" के रूप में है, जैसा मामला हो.

ऐसे शेयरधारक जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा पहले से ही अपना वोट डाल दिया है वे बैठक में भाग ले सकते हैं परंतु अपना वोट पुनः नहीं दे सकते.

7. रिमोट ई-वोटिंग

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के अनुसरण में और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 या उसमें किए गए संशोधनों के अनुपालन में, आपके बैंक को अपने शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिससे कि वे नोटिस में उल्लिखित मर्दानों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट दे सकें. इस संबंध में शेयर धारकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:-

क) ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने हेतु बैंक द्वारा कार्वी फिनटेक प्रा. लि. को ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है.

ख) रिमोट ई-वोटिंग के लिए पोर्टल 17 जनवरी, 2019 को सुबह 9:00 बजे से 20 जनवरी, 2019 को शाम 5:00 बजे तक (दोनों दिन शामिल) उपलब्ध रहेगा और सभी दिनों पर खुला रहेगा.

ग) रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक होगी. भौतिक रूप से अथवा डिमैट के रूप में बैंक का शेयर रखने वाले शेयरधारक अंतिम तारीख अर्थात् 14 जनवरी, 2019 को अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप में दे सकते हैं.

घ) रिमोट ई-वोटिंग संबंधी निर्देश इस प्रकार हैं :

- निर्धारित तिथि पर मतदान करने के पात्र शेयरधारक ई वोटिंग के लिए निम्नलिखित यूआरएल <https://evoting.karvy.com> पर 17 जनवरी, 2019 को प्रातः 9 बजे से वोट कर सकते हैं.
- इस सूचना के साथ संलग्न उपस्थिति पर्ची में दर्शाए गए लॉगिन क्रेडेंसियल अर्थात् यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें.
- अपना विवरण समुचित रूप से दर्ज करने के पश्चात लॉगिन पर क्लिक कीजिए.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting.

6. Attendance Slip-Cum Entry Pass (The Attendance Slip):

For the convenience of the Shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this Notice, with requisite details pre-printed with the e-voting log-in id and password. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives have an option to cast their votes by using remote e-voting platform. Those who do not exercise remote e-voting facility can cast their vote at the voting to be conducted at the venue of the meeting on the date of the EGM. Such Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives are requested to verify the details printed on the Attendance Slip and fill-in blanks, if any and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy / Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance-Slip as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

Shareholders, who have already exercised their vote through remote e-voting, can attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

7. Remote E-Voting

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 and compliance to the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 or amendments made thereto your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the Resolution mentioned in the notice of the meeting. Shareholders are informed as under in this regard:

a) The Bank has appointed Karvy Fintech Pvt. Ltd. as the remote e-voting agency to provide the e-voting platform.

b) **The Portal will open for remote e-voting at 9.00 a.m. on 17th January 2019 and will remain open throughout on all the days up to 5.00 p.m. on 20th January 2019 (both days inclusive).**

c) **Remote e-voting is optional.** Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the **Cut – off Date i.e. 14th January 2019**, may cast their vote electronically.

d) The **instructions for remote e-voting** are as under:

- The Shareholders eligible to vote as on the aforesaid Cut-Off Date, to use the following URL for e-voting: <https://evoting.karvy.com> on opening of the same on **17th January 2019** at 9.00 a.m.
- Enter the login credentials i.e., user id and password mentioned in the Attendance Slip annexed on this Notice.
- After entering the details appropriately, click on LOGIN.

- iv. आप “पासवर्ड बदलें” मेनू में पहुंचेंगे, जहां आपको अनिवार्यतः अपना पासवर्ड बदलना होगा. नये पासवर्ड में एक “अपर केस” (A - Z), एक लॉअर केस (a - z), एक अंक (0-9) तथा एक विशेष कैरेक्टर सहित न्यूनतम 8 कैरेक्टर होंगे. सिस्टम आपको पहली बार लॉगिन करते समय पासवर्ड बदलने हेतु तथा मोबाइल नं., ई-मेल जैसे संपर्क के ब्यौरे में कोई अद्यतन जानकारी देनी हो तो उसे दर्ज करने हेतु कहेगा. आप यदि अपना पासवर्ड भूल गये हैं, तो उसे पुनः प्राप्त करने हेतु आप अपनी पसंद के गोपनीय प्रश्न और उत्तर की प्रविष्टि भी कर सकते हैं. ऐसी पुरज़ोर सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य को न बताएं और इसे गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें.
- v. आपको नये क्रेडेंसियल से पुनः लॉग-इन करना होगा.
- vi. सफलतापूर्वक लॉग-इन के बाद, सिस्टम आपको इवेन, अर्थात बैंक ऑफ बड़ौदा का चयन करने हेतु कहेगा. वोटिंग पृष्ठ पर शेयरधारक द्वारा अंतिम तारीख (14 जनवरी, 2019) को धारित शेयरों की संख्या दिखाई देगी. आपके पास एसेंट या डिसेंट पर क्लिक करके संकल्प हेतु वोट देने का विकल्प होगा. पुष्टि करने हेतु “OK” पर क्लिक करें, अन्यथा परिवर्तन करने हेतु “CANCEL” पर क्लिक करें. एक बार पुष्टि करने के बाद आप वोट में परिवर्तन नहीं कर सकते. वोटिंग अवधि के दौरान, शेयरधारक संकल्प के लिए वोट देने तक कितनी भी बार लॉग-इन कर सकता है.
- vii. एक से अधिक फोलियो/डिमैट खाता रखने वाले शेयरधारकों को प्रत्येक फोलियो /डिमैट खाते के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया करनी होगी. तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अधीन, भारत सरकार के अतिरिक्त अन्य किसी शेयरधारक को, बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक के लिए वोट करने की अनुमति नहीं होगी.
- viii. पोर्टल उपरोक्तानुसार बंद हो जाएगा और इसके बंद होते ही यह सुविधा डिसेबल हो जाएगी.
- ix. रिमोट ई-वोटिंग और सामान्य बैठक के स्थान पर होने वाली वोटिंग की सुचारू एवं पारदर्शी रूप से संवीक्षा करने हेतु बैंक द्वारा मेसर्स एस.एन. अनंत सुब्रह्मण्यन एंड कंपनी, कंपनी सचिव को संवीक्षक (जांचकर्ता) के रूप में नियुक्त किया गया है.
- x. संस्थागत शेयरधारक (यथा व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) जो वोट देने हेतु प्राधिकृत हों, उन्हें विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरियों के अधिप्रमाणित हस्ताक्षरों सहित संबद्ध बोर्ड संकल्प / प्राधिकार-पत्र की स्कैंड (पीडीएफ/जेपीजी) प्रति Scrutinizer@snaco.net पर ई-मेल के माध्यम से संवीक्षक को भेजनी अपेक्षित है.
- xi. ऐसे शेयरधारक जो ईजीएम नोटिस भेजे जाने के बाद और ई-वोटिंग के लिए अंतिम तारीख के बीच में शेयर खरीदते हैं तथा अपने संबंधित डीपी के साथ अपना ईमेल रजिस्टर कराते हैं तो उन्हें इस संबंध में सूचना आरटीए द्वारा दी जाएगी. इस तरह के अन्य शेयरधारक विवरण प्राप्त करने के लिए बैंक की वेबसाइट को देख सकते हैं.
- xii. किसी भी जानकारी के लिए आप <https://evoting.karvy.com> पर डाउनलोड खंड में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए
- iv. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. **It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.**
- v. You need to login again with the new credentials.
- vi. On successful login, the system will prompt you to select the EVEN i.e., **Bank of Baroda**. On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as on the **Cut-off Date** (14th January 2019) will appear. You will have option to vote for the Resolution by click on ASSENT or DISSENT. Click OK to confirm else CANCEL to modify. **Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the resolutions.**
- vii. Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folio / demat account. **However, Shareholders may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no Shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.**
- viii. The portal will close as aforesaid and the facility will be disabled immediately on the closure.
- ix. The Bank has appointed M/s S.N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries, as the Scrutinizer for scrutinizing the remote e-voting and voting at the venue of the general meeting in a fair and transparent manner.
- x. Institutional Shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail : scrutinizer@snaco.net
- xi. Shareholders acquiring Shares between the Cut –Off Date for dispatch of the Notice for EGM and the Cut-Off Date for E-voting and have registered their e-mail IDs with their respective DP, shall be sent communication by RTA in this regard. Such other Shareholders may visit Bank’s website to get the details.
- xii. In case of any queries, you may refer the Frequently

ई-वोटिंग यूजर मैनुअल संबंधी प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) का अवलोकन कर सकते हैं अथवा कार्वी फिनटेक प्रा. लि. के उप महाप्रबंधक श्री एस वी राजू (यूनिट : बैंक ऑफ़ बड़ौदा) कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गचिबोवली, फायनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद -500 032 से ई-मेल raju.sv@karvy.com तथा फोन नं. 040 6716 2222 या 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं।

8. असाधारण सामान्य बैठक में चुनावी प्रक्रिया

कार्यसूची की मदों पर वोटिंग, रिमोट ई-वोटिंग के साथ साथ बैठक के दौरान मतदान के माध्यम से होगी। जो रिमोट ई-वोटिंग विकल्प का प्रयोग नहीं करना चाहते वे बैठक की तारीख को असाधारण सामान्य बैठक के स्थल पर आयोजित किए जाने वाले मतदान में भाग लेने हेतु अपना वोट देने के पात्र होंगे। वोटों की संख्या उनके द्वारा निर्धारित तारीख को धारित शेयरों की संख्या के समान होगी। बैठक के अध्यक्ष की घोषणा के तत्काल बाद वोट डालने के लिए वोटिंग पेपर/टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा और यह प्रक्रिया शेयरधारकों के उपस्थित रहने तक जारी रहेगी।

शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को इस नोटिस के साथ प्रेषित अथवा पंजीकरण के समय जारी वोटिंग पेपर पास की सुपुर्दगी पर इस उद्देश्य हेतु लगाए गए काउंटर पर वोटिंग पेपर/टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। वोटों की संख्या ईजीएम के लिए निर्धारित कार्यसूची के संबंध में निर्धारित तारीख अर्थात् 14 जनवरी, 2019 को उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या के समतुल्य होगी।

9. रिमोट ई-वोटिंग तथा मतदान का परिणाम

असाधारण सामान्य बैठक के आयोजन की समाप्ति पर या उसके दो दिनों के अन्दर रिमोट ई-वोटिंग तथा बैठक में मतदान के समेकित परिणाम की घोषणा की जाएगी तथा इसे बैंक/ स्टॉक एक्सचेंज और कार्वी की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा।

10. पते में परिवर्तन :

क) संबंधित डिपॉजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किए गए और एनएसडीएल/सीडीएसएल पर पंजीकृत पते को बैंक द्वारा नोटिस पत्राचार भेजने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे अपने डिमैट खाते में पंजीकृत पते को अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के साथ अद्यतन करा लें ताकि उन्हें अद्यतन जानकारी मिल सके। बैंक अथवा इसका रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से सीधे ही प्राप्त ऐसे किसी अनुरोध पर कार्यवाही नहीं करेगा जो पते से संबंधित हों। ऐसे परिवर्तनों की सूचना केवल सदस्यों के डिपॉजिटरी सहभागी को ही दी जानी चाहिए।

ख) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में कोई परिवर्तन हो तो इसकी सूचना वैध दस्तावेजों साक्ष्य के साथ आवेदन पत्र के माध्यम से तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट अर्थात् मैसर्स कार्वी फिनटेक प्रा. लि., हैदराबाद को दें। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखनेवाले धारकों को सूचित किया जाता है कि उनके डिमैट खाते में पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन होने से इसे संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करके अद्यतन करा लें और बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क न करें।

ग) सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ पत्राचार करते समय अपना फोलियो नंबर (भौतिक रूप में शेयर रखने वालों के लिए) तथा संबंधित डीपी /क्लाईट आईडी

Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available at the download section of <https://evoting.karvy.com> or contact Mr. S.V. Raju, DGM of Karvy Fintech Pvt. Ltd. (Unit : Bank of Baroda), Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032 at e-mail raju.sv@karvy.com at phone no. 040 6716 2222 OR at 1800 345 4001 (toll free).

8. VOTING PROCESS AT THE EGM

The voting on the Agenda Item shall be done by remote e-voting as well as by Voting at the Meeting. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to participate at the Voting to be conducted at the venue of the EGM on the date of the meeting. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Cut-Off Date. Voting paper / tablet will be provided immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman of the meeting and will continue till the shareholders present, cast their votes.

Voting paper / tablet shall be provided at the Counters set up for this purpose to the Shareholders / Proxy holders/ Authorized Representatives on surrender of Voting Paper Pass dispatched along with the Notice or issued at the time of registration. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Cut-Off Date i.e., 14th January 2019 in respect of agenda item for EGM.

9. RESULTS OF REMOTE E-VOTING AND POLL

The consolidated results of remote e-voting and voting at the EGM will be announced within two days or at the end of the Meeting and will also be hosted on the websites of the Bank, Stock Exchanges and Karvy.

10. Change of Address:

a) The Bank for sending Notices / communications will use the details of address registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Members holding shares in electronic form are hereby informed that their address registered in Demat Account should be updated with respective Depository Participant so as to get updated immediately. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent cannot act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of address. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members.

b) Members holding shares in physical form are requested to advise any change of address along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. Karvy Fintech Pvt. Ltd., Hyderabad. Members holding shares in electronic form must register change in address **with their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.**

c) Members are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat

संख्या (इलेक्ट्रॉनिक/डीमैट के रूप में शेयर रखने वालों के लिए) का उल्लेख करें.

form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

11. फोलियो का समेकन:

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खाते में अपने समरूप नाम से शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट को शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ ऐसे खातों के लेजर फोलियो की सूचना दें ताकि बैंक एक खाते में सभी धारित शेयरों का समेकन कर सके. पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद सदस्यों को शेयर प्रमाण पत्र यथासमय लौटा दिए जाएंगे.

11. Consolidation of Folios:

The Members holding shares in physical form in identical order of names in more than one account are requested to intimate to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable them to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the members after making necessary endorsement in due course.

12. भौतिक रूप में शेयर धारिता का अभौतिकीकरण -विशेष अनुरोध :
सेबी ने अपनी दिनांक 30 नवंबर, 2018 की अधिसूचना के माध्यम से यह अधिदेश दिया है कि प्रतिभूतियों के अंतरण हेतु अनुरोध पर तब तक प्रक्रिया नहीं की जाएगी जब तक शेयर/प्रतिभूति डिपोजिटरी में अभौतिक न हो. अतः 1 अप्रैल, 2019 से यदि शेयरधारक के पास बैंक के शेयर भौतिक रूप में हैं तो शेयरों का अंतरण नहीं किया जाएगा. हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि कृपया अपनी भौतिक धारिता को तत्काल डीमैट करें.

12. Dematerialization of Physical Holdings – A SPECIAL REQUEST:

SEBI vide its notification dated 30th November, 2018 has mandated that requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the shares / securities are held in dematerialized form with a depository. Hence w.e.f. 01st April, 2019 transfer of shares will not be effected if the shareholders hold the shares of Bank in physical form. We request the shareholder to kindly Demat their physical holding immediately.

डीमैटरियलाइजेशन हेतु शेयरधारक अपनी उस संबंधित डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करेगा जहां उसका डीमैट खाता है. डीमैटरियलाइजेशन के लाभ निम्नलिखित हैं (i) बाधा रहित अंतरण (ii) शेयर प्रमाणपत्र के खोने का डर नहीं (iii) लाभांश/कार्पोरेट लाभ का तुरंत एवं सीधे क्रेडिट होना (iv) नामांकन सुविधा (v) आस्बा/आईपीओ के माध्यम से सीधे आवेदन

For dematerialization, shareholders may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective de-mat account. Benefits of dematerialization are as follows: i) Hassle free transfer ii) No threat of loss of share certificate iii) Direct and prompt credit of Dividend / Corporate benefits iv) Nomination facility v) Direct application through ASBA/IPO.

13. अंतरणों के लिए अनुरोध :

शेयर प्रमाण-पत्र/पत्रों को अंतरण विलेख/विलेखों के साथ बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए-

कार्वी फिनटेक प्रा.लि.

(यूनिट- बैंक ऑफ बड़ौदा)

कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गचिबोवली, फायनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद - 500 032 फोन नं. 040 67162222, टोल फ्री 1800 345 4001

ई-मेल : einward.ris@karvy.com

13. Lodgments for Transfers:

Share Certificate/s along with transfer deed/s should be forwarded to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at the following address.

Karvy Fintech Pvt. Ltd.

(Unit :- Bank of Baroda)

Karvy Selenium Tower B, Plot No 31 & 32 Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032 Phone No. 040 6716 2222, Toll Free : 1800 345 4001

E- mail : einward.ris@karvy.com,

14. दावा न किए गए/ अप्रदत्त लाभांश, यदि कोई हो:

शेयरधारक सावधानीपूर्वक कृपया नोट कर लें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 में संशोधन के फलस्वरूप बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के मद्देनजर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उक्त अधिनियम लागू होने के फलस्वरूप भुगतान हेतु /दावा हेतु शेष लाभांश की राशि तथा उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश "अप्रदत्त लाभांश खाते" में अंतरित करें.

"अप्रदत्त लाभांश खाते" में अंतरित राशि और अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि हेतु अदावाकृत /अप्रदत्त राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 (सी) (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है और उसके पश्चात इस संबंध में

14. Unclaimed/Unpaid Dividend, if any:

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 205 (C) of the Companies

भुगतान के लिए कोई दावा बैंक को या निधि को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2010-11 तक घोषित किए गए अप्रदत्त लाभांश को पहले ही आईईपीएफ को अंतरित कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2011-12 से आगे के अप्रदत्त लाभांश के विवरण के लिए निवेशक बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.com देख सकते हैं। तथापि शेयरधारकों की सुविधा के लिए भविष्य में अंतरण की देय तिथि संबंधी विवरण इस प्रकार है : -

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	लाभांश -अंतरिम /अंतिम	अप्रदत्त लाभांश का खाता क्रमांक	आईईपीएफ को अंतरित करने की देय तिथि /आरटीए अथवा बैंक को दावा प्राप्त होने की अंतिम तारीख
1	2011-12	अंतिम	09540015181299	02 अगस्त, 2019
2	2012-13	अंतिम	09540015181376	29 जुलाई, 2020
3	2013-14	अंतरिम	09540015181393	14 फरवरी, 2021
4	2013-14	अंतिम	09540015181397	25 जुलाई, 2021
5	2014-15	अंतिम	09540015181420	29 जुलाई, 2022
6	2015-16	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
7	2016-17	अंतिम	09540015181566	06 अगस्त, 2024
8	2017-18	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2011-12 तथा उसके बाद से अपने लाभांश पत्रों का नकदीकरण न कराया हो, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट, हैदराबाद से उपरोक्त पते पर (पैरा 13) अथवा बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग, मुंबई से निम्नलिखित पते पर सीधे संपर्क करें :

निवेशक सेवाएं विभाग

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवीं मंजिल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051.

ई-मेल - investorservices@bankofbaroda.com

व्याख्यात्मक विवरण

सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन 2014 के विनियमन 6(2) के अधीन यथा अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरण एवं प्रकटीकरण.

बैंक कर्मियों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने तथा कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने हेतु बैंक अपने प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकगण (पात्र कर्मचारी) समेत सभी स्थायी कर्मचारियों को नये इक्विटी शेयर जारी किए जाने का प्रस्ताव करता है। प्रस्तावित निर्गम बैंक की दीर्घकालिक संसाधनों की बढ़ती मांग को पूरा करेगा तथा बेसल III की आवश्यकताओं के अनुरूप बैंक की पूंजी पर्याप्तता को मजबूती प्रदान करेगा.

सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन 2014 (सेबी विनियम) के अनुपालन के क्रम में बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए "बैंक ऑफ़ बड़ौदा कर्मचारी शेयर खरीद योजना" ("बीओबी-ईएसपीएस") तैयार किया है। यह योजना लागू कानूनों का अनुपालन करते हुए निदेशक मंडल की क्षतिपूर्ति समिति द्वारा शासित की जाएगी.

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कुल पूंजी जुटाने की योजना के अंतर्गत बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा यह तय किया गया है कि भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/ अन्य नियामक एजेंसियों आदि के बाध्यकारी/विनियामक

Act, 1956 (Section 125 of Companies Act, 2013) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund. The Bank has already transferred unpaid dividend declared up to FY 2010-11 to IEPF. For the details of unpaid dividend from FY 2011-12 onwards, the Shareholders may visit Bank's website "www.bankofbaroda.com", however, the details about future due dates for transfer are given below for the convenience of Shareholders:

Sr. No	Financial Year	Dividend -Interim / Final	Unpaid Dividend Account Number	Due Dates for Transfer to IEPF/Last Date by which the claim should reach RTA or the Bank
1	2011-2012	Final	09540015181299	2nd August, 2019
2	2012-2013	Final	09540015181376	29th July, 2020
3	2013-2014	Interim	09540015181393	14th February, 2021
4	2013-2014	Final	09540015181397	25th July, 2021
5	2014-2015	Final	09540015181420	29th July, 2022
6	2015-2016	NIL	Not Applicable	Not Applicable
7	2016-2017	Final	09540015181566	06th August, 2024
8	2017-2018	NIL	Not Applicable	Not Applicable

The Shareholders who have not en-cashed their dividend warrants for the previous years, i.e. from FY 2011-12 onwards are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at aforesaid address (para 13) or at Bank's Investors' Services Department at Mumbai on the following address :

Investors' Services Department

Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051.

E-mail - investorservices@bankofbaroda.com

EXPLANATORY STATEMENT

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms Regulation 6(2) of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014.

With a view to enhance sense of belongingness and to motivate the Bank's Employees, the Bank proposes to issue new equity shares to its permanent Employees including the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Directors of the Bank (Eligible Employees). The proposed issue will also measure up to meet the growing demands for long term resources and shore the Bank's capital adequacy in line with the BASEL III requirements.

In compliance with SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 (SBEB Regulations), the Bank has formulated a Scheme namely Bank of Baroda Employees Share Purchase Scheme ("BOB-ESPS"). The Scheme will be administered by the Compensation Committee of the Board and shall be subject to compliance with the applicable laws.

Out of total capital raising plan for the year 2018-19, the Board of the Bank has decided to raise Equity Share Capital upto 10,00,00,000 (Ten Crore) equity shares with a face value of

अनुमोदनों के अधीन एक या अधिक अंशों में रु. 2/- के अंकित मूल्य पर बैंक ऑफ़ बड़ौदा कर्मचारी शेयर खरीद योजना (“बीओबी-ईएसपीएस”) के माध्यम से समुचित प्रीमियम के साथ 10,00,00,000 (दस करोड़) तक के इक्विटी शेयरों से इक्विटी शेयर पूंजी इस प्रकार जुटाई जाए, ताकि भारत सरकार की शेयरधारिता 52.00% से कम न हो.

दीर्घकालिक संसाधन जुटाने के अलावा इस निर्गम का उद्देश्य इस प्रकार है:

- बैंक द्वारा अपने कर्मचारियों द्वारा दिए जा रहे योगदान के फलस्वरूप उन्हें आकर्षित करने, बनाए रखने तथा पुरस्कृत करने के लिए इस योजना को लाया जा रहा है ताकि कंपनी की वृद्धि और लाभप्रदता में योगदान हेतु उन्हें प्रेरित किया जा सके.
- बैंक कर्मियों को प्रोत्साहन एवं पुरस्कार के अवसरों से प्रेरित करना.
- बैंक का निरंतर विकास करना और कर्मचारियों के हितों को बैंक के दीर्घकालीन हितों के साथ सुसंगत बनाते हुए शेयरधारिता मूल्यों का सृजन करना; और
- कर्मचारियों में बैंक के प्रति अपनेपन एवं प्रतिभागिता की भावना उत्पन्न करना.
- बैंक की पूंजी पर्याप्तता को मजबूती प्रदान करने तथा बैंक की सामान्य व्यवसायिक आवश्यकताओं को निधि उपलब्ध कराने के उद्देश्य को पूरा करने हेतु इक्विटी पूंजी जुटाना.

योजना के तहत जारी करने हेतु प्रस्तावित नये इक्विटी शेयरों को बैंक द्वारा यदि कोई लाभांश जारी किया जाता है, उसके भुगतान सहित, सभी दृष्टि से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समनुरूप माना जाएगा.

सेबी के विनियमन 41 (4) (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 (सेबी (एलओडीआर)) तथा एसबीईबी विनियमन के विनियमन 6 के अनुपालन के क्रम में बैंक, पात्र कर्मचारियों के लिए नए इक्विटी शेयरों को जारी एवं आवंटित किए जाने हेतु विशेष विनियम का प्रस्ताव करता है. सेबी परिपत्र क्रमांक सीआईआर/सीएफडी/पॉलिसी सेल/2/2015 दिनांक 16 जून 2015 के अनुसरण में इससे संबंधित अतिरिक्त प्रकटीकरण (डिसक्लोजर) इस प्रकार है:

क. योजना का संक्षिप्त विवरण:

बैंक पात्र कर्मचारियों को “बीओबी-ईएसपीएस” के लागू नियमों के अनुरूप बैंक के प्रत्येक रु. 2/- के अंकित मूल्य पर 10,00,00,000 (दस करोड़) शेयर, ऑफर करते समय लागू नियमों, कानूनों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अधीन इस प्रकार जारी करने का प्रस्ताव करता है, जिससे कि भारत सरकार की धारिता 52.00% से कम न हो जाए.

ख. प्रदान किए जाने वाले शेयरों की कुल संख्या:

इस योजना के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को रु. 10,00,00,000 (दस करोड़) तक के कुल नए इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव है.

ग. “बीओबी-ईएसपीएस” में शामिल होने एवं लाभार्थी बनने हेतु पात्र कर्मचारियों के समूहों का निर्धारण:

बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यपालक निदेशकों सहित सभी स्थायी कर्मचारी.

घ. वेस्टिंग की आवश्यकता और उसकी अवधि:

लागू नहीं.

Rs.2/- each, at an appropriate premium, through Bank of Baroda Employee Share Purchase Scheme (BOB-ESPS) in one or more tranches subject to mandatory / regulatory approvals from the GoI / RBI / SEBI / Other regulatory agencies etc., in such a way that the Government of India holding does not fall below 52.00%.

The object of the issue, apart from raising of long term resources is:

- To enable the Bank to attract, retain and reward Employees for our Bank by sharing the value created by them and to motivate them to contribute to the growth and profitability of the Company.
- To motivate the Employees of the Bank with incentives and reward opportunities;
- To achieve sustained growth of the Bank and the creation of shareholder value by aligning the interests of the Employees with the long-term interests of the Bank; and
- To create a sense of ownership and participation amongst the Employees.
- To raise equity capital to utilize for the purpose to shore up the capital adequacy and to fund the general business needs of the Bank.

The new equity shares proposed to be issued under the Scheme shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank including payment of dividend, if any, declared by the Bank.

In compliance with Regulation 41(4) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [SEBI (LODR)] and Regulation 6 of SBEB Regulations, the Bank is proposing the Special Resolution for issuance and allotment of new equity shares to Eligible Employees.

Pursuant to SEBI Circular No. CIR/CFD/Policy Cell/2/2015 dated 16th June 2015, additional disclosures as enumerated therein are as under:

A. BRIEF DESCRIPTION OF THE SCHEME:

The Bank proposes to offer upto 10,00,00,000 (Ten Crore) new equity shares of face value of Rs.2/- each of the Bank to all the Eligible Employees under BOB-ESPS subject to applicable laws, Rules, Regulations and Guidelines, to be decided at the time of making offer in such a way that the holding of Government of India does not reduce below 52.00%.

B. TOTAL NUMBER OF SHARES TO BE GRANTED:

Up to 10,00,00,000 (Ten crore) new equity shares in aggregate are proposed to be offered to the Eligible Employees under the Scheme.

C. IDENTIFICATION OF CLASSES OF EMPLOYEES ENTITLED TO PARTICIPATE AND BE BENEFICIARIES IN THE BOB ESPS:

All permanent Employees of the Bank including the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Directors of the Bank.

D. REQUIREMENTS OF VESTING AND PERIOD OF VESTING:

Not Applicable.

इ. सेबी (एसबीईबी) विनियमन के विनियमन 18 (1) और 24(1) के अधीन (जो भी लागू हो) अधिकतम अवधि जिसके अंतर्गत विकल्प/एसएआर/ लाभ निहित होगा:

लागू नहीं.

च. एक्सरसाइज मूल्य, एसएआर मूल्य, क्रय मूल्य या मूल्य निर्धारण फॉर्म्युला:

ऑफर मूल्य/क्रय मूल्य का निर्धारण ऑफर के समय निदेशक मंडल/निदेशकों की समिति द्वारा किया जाएगा. इस योजना के अंतर्गत बैंक के पात्र कर्मचारियों को आबंटित किए जाने वाले शेयरों का मूल्य, बोर्ड/समितियों द्वारा ऑफर/खरीद मूल्य का निर्धारण किए जाने की तारीख से पूर्ववर्ती तारीख पर दो सप्ताह के दौरान एनएसई पर कोट किए गए इक्विटी शेयरों के वॉल्यूम आधारित औसत मूल्य के साप्ताहिक उतार-चढ़ाव के औसत पर 25 % के डिस्काउन्ट पर होगा.

छ. एक्सरसाइज की अवधि एवं एक्सरसाइज की प्रक्रिया:

बोर्ड/समिति के निर्णय के अनुसार जिस अवधि के दौरान निर्गम खुला रहता है, वह अवधि एक्सरसाइज अवधि होगी. एक्सरसाइज की प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ पात्र कर्मचारियों को किए गए ऑफर, आवेदन एवं अभिदान की राशि की प्राप्ति तथा योजना के अनुसरण में शेयरों के आबंटन का समावेश होगा.

ज. प्रस्तावित ईएसपीएस के अंतर्गत कर्मचारियों की पात्रता के निर्धारण हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया:

ऑफर जारी करने की तारीख पर पात्र कर्मचारी, लागू विनियामक आवश्यकताओं एवं दिशानिर्देशों के अधीन इसमें भाग लेने हेतु पात्र होंगे.

झ. प्रति कर्मचारी एवं समग्र रूप में जारी किए जाने वाले अधिकतम विकल्प शेयर, एसएआर जैसा भी मामला हो:

बैंक द्वारा समग्र रूप से अधिकतम 10,00,00,000 (दस करोड़) नए इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव है और प्रति कर्मचारी जारी किए जाने वाले शेयर बैंक के निर्गम पश्चात प्रदत्त पूंजी के 1% से अधिक नहीं होना चाहिए.

ञ. योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाने वाले अधिकतम लाभ:

उपरोक्त पैरा (1) में दर्शाए अनुसार पात्र कर्मचारियों को जारी इक्विटी शेयर के अलावा कर्मचारियों को कोई भी अन्य लाभ दिया जाना प्रस्तावित नहीं है.

ट. क्या यह योजना सीधे तौर पर बैंक द्वारा क्रियान्वित एवं संचालित की जाएगी अथवा किसी ट्रस्ट द्वारा इसे चलाया जाएगा:

इस प्रस्तावित योजना को सीधे तौर पर बैंक द्वारा ही संचालित किया जाएगा.

ठ. क्या इस योजना में कंपनी द्वारा जारी नए शेयर या ट्रस्ट द्वारा सेकेंडरी एक्विजिशन या दोनों शामिल होंगे:

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को नए इक्विटी शेयर बैंक द्वारा सीधे जारी किया जाएगा.

ड. कंपनी द्वारा ट्रस्ट को इस योजना के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध कराया जाने वाला ऋण, उसकी अवधि, उपयोग, चुकौती की शर्तें आदि:

इस प्रस्तावित योजना के अंतर्गत बैंक के नए इक्विटी शेयर पात्र

E. MAXIMUM PERIOD [SUBJECT TO REGULATION 18 (1) AND 24 (1) OF THE SEBI (SBEB) REGULATIONS, AS THE CASE MAY BE] WITHIN WHICH THE OPTIONS/SARs/ BENEFIT SHALL BE VESTED:

Not Applicable.

F. EXERCISE PRICE, SAR PRICE, PURCHASE PRICE OR PRICING FORMULA:

The Offer Price / Purchase Price will be determined by the Board / Committee of Directors at the time of the offer. The price of the Shares to be allotted under the Scheme to the Eligible Employees of the Bank shall be at a discount of 25% on the average of the weekly high and low of the volume weighted average prices of the equity shares quoted on NSE during the two weeks preceding the date on which the Board / Committee / Delegated Authority fixes Offer / Purchase Price.

G. EXERCISE PERIOD AND PROCESS OF EXERCISE:

The period during which the issue remains open as per decision of the Board / Committee shall be the Exercise Period. The process of exercise would, inter-alia, include offer made to the Eligible Employees, receipt of application and subscription amount and allotment of shares pursuant to the Scheme.

H. THE APPRAISAL PROCESS FOR DETERMINING THE ELIGIBILITY OF EMPLOYEES FOR THE PROPOSED ESPS:

Eligible Employees as on the date of offering will be entitled to participate subject to the applicable regulatory requirements and guidelines.

I. MAXIMUM NUMBER OF OPTIONS, SARs, SHARES, AS THE CASE MAY BE, TO BE ISSUED PER EMPLOYEE AND IN AGGREGATE :

The Bank proposes to issue maximum of 10,00,00,000 (Ten crore) new equity shares in aggregate and equity shares proposed to be issued per employee shall not exceed 1.00% of the post issue paid-up capital of the Bank.

J. MAXIMUM QUANTUM OF BENEFITS TO BE PROVIDED PER EMPLOYEE UNDER THE SCHEME:

Other than equity shares issued to the Eligible Employees under the Scheme as indicated in para (I) above, no other benefit is proposed to be provided to the Employees.

K. WHETHER THE SCHEME (S) IS TO BE IMPLEMENTED AND ADMINISTERED DIRECTLY BY THE BANK OR THROUGH A TRUST:

The proposed Scheme will be implemented and administered directly by the Bank.

L. WHETHER THE SCHEME (S) INVOLVES NEW ISSUE OF SHARES BY THE COMPANY OR SECONDARY ACQUISITION BY THE TRUST OR BOTH:

Under the proposed Scheme, the Bank will issue new equity shares directly to the Eligible Employees.

M. THE AMOUNT OF LOAN TO BE PROVIDED FOR THE IMPLEMENTATION OF THE SCHEME (S) BY THE COMPANY TO THE TRUST, ITS TENURE, UTILIZATION, REPAYMENT TERMS, ETC.:

कर्मचारियों को सीधे जारी किए जाएंगे और इस संबंध में ट्रस्ट का गठन या ट्रस्ट को ऋण उपलब्ध कराना लागू नहीं है।

ढ. योजना के प्रयोजनार्थ ट्रस्ट द्वारा तैयार की जा सकने वाली सेकेंडरी एक्विजिशन (सेबी विनियमन के अंतर्गत निर्धारित सीमा के अनुरूप) का अधिकतम प्रतिशत:

लागू नहीं।

ण. इस आशय का एक स्टेटमेंट कि बैंक सेबी (एसबीईबी) विनियमन के विनियमन 15 में दर्शाई गई लेखांकन नीतियों की पुष्टि करेगा:

बैंक समय-समय पर यथालागू एसबीईबी विनियमों के विनियम 15 में विनिर्दिष्ट लेखा-नीतियों की पुष्टि करेगा।

त. बैंक द्वारा अपने विकल्प का मूल्य अथवा एसएआर के प्रयोग की विधि:

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत बैंक नए इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव करता है और इस प्रकार विकल्पों के मूल्यांकन अथवा एसएआर लागू नहीं होंगे।

थ. निम्नलिखित विवरण, यदि लागू हों:

यदि बैंक यथार्थ मूल्य का उपयोग कर शेयर आधारित कर्मचारी लाभ के एक्सपेन्सिंग का विकल्प चुनता है, तो इस प्रकार गणना की गई कर्मचारी कंपेन्सेशन लागत एवं यदि उचित मूल्य का उपयोग किया गया होता, तो जो कर्मचारी-कंपेन्सेशन लागत निर्धारित हुई होती- इनके बीच के अंतर को निदेशकों की रिपोर्ट में दर्शाया जाएगा और प्रति शेयर कमाई ("ईपीएस") और लाभ के अंतर का भी बैंक द्वारा निदेशकों की रिपोर्ट में उल्लेख किया जाएगा।

उपर्युक्त आवश्यकताओं के लागू होने पर बैंक द्वारा इसका अनुपालन किया जाएगा।

द. लॉक-इन अवधि:

एसबीईबी विनियमनों के अनुसार वर्तमान ईएसपीएस के अंतर्गत प्रस्तावित नई इक्विटी शेयर की लॉक-इन अवधि इसके आवंटन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए होगी।

निदेशक मंडल द्वारा इस प्रस्तावित विशेष संकल्प को जारी किए जाने की अनुशांसा की जाती है।

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण एवं बैंक के अन्य प्रमुख प्रबंधकीय प्राधिकारी इस प्रस्ताव से सरोकार रखते हैं, क्योंकि यह उनके लाभ के इरादे से तैयार किया गया है। अन्य निदेशकगण का इस प्रस्ताव से कोई सरोकार नहीं होगा।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

पी. एस. जयकुमार

(पी. एस. जयकुमार)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई

दिनांक : 14 दिसंबर, 2018

Under the proposed Scheme, the new equity shares of the Bank are proposed to be issued directly to the Eligible Employees and as such, the formation of the Trust or providing loan to the Trust is Not Applicable.

N. MAXIMUM PERCENTAGE OF SECONDARY ACQUISITION (SUBJECT TO LIMITS SPECIFIED UNDER THE SEBI REGULATIONS) THAT CAN BE MADE BY THE TRUST FOR THE PURPOSES OF THE SCHEME (S):

Not Applicable.

O. A STATEMENT TO THE EFFECT THAT THE BANK SHALL CONFORM TO THE ACCOUNTING POLICIES SPECIFIED IN REGULATION 15 OF SEBI (SBEB) REGULATIONS:

The Bank will conform to the accounting policies specified in Regulation 15 of SBEB Regulations, as applicable from time to time.

P. THE METHOD WHICH THE BANK SHALL USE TO VALUE ITS OPTIONS OR SARs:

Under the proposed Scheme, the Bank proposes to issue new equity shares and as such, the valuation of Options or SARs is Not Applicable.

Q. THE FOLLOWING STATEMENT, IF APPLICABLE:

In case the Bank opts for expensing of share based employee benefits using the intrinsic value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' report and the impact of this difference on profits and on earnings per share ("EPS") of the Bank shall also be disclosed in the Directors' report.

The Bank will comply with the above requirements, if applicable.

R. LOCK-IN PERIOD:

The new equity shares proposed to be issued under the present ESPS shall be locked-in for a minimum period of One year from the date of allotment as per SBEB Regulations.

The Board of Directors recommends the passing of the proposed Special Resolution.

The Managing Director & Chief Executive Officer, the Executive Directors and other Key Managerial Persons (KMPs) of the Bank are concerned or interested in the aforementioned Resolution as it is intended for their benefit. Other Directors are not concerned or interested in the Resolution.

By Order of Board of Directors
For BANK OF BARODA

P. S. Jayakumar

P. S. JAYAKUMAR

Managing Director & CEO

Place: Mumbai

Date: 14th December 2018

बैंक ऑफ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय – मांडवी, बड़ौदा 390 006

फॉर्म बी

प्रॉक्सी फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षर किया जाए)

पंजीकृत फोलियो नंबर	डीपी आईडी नं	
	ग्राहक आईडी नं	
(यदि शेयर अभौतिक रूप में न हो)		(यदि शेयर अभौतिक रूप में हो)
शेयरों की संख्या		

मैं/हम _____ निवासी _____
 _____ जिला _____ राज्य _____

बैंक ऑफ बड़ौदा का / के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा श्री/श्रीमती _____
 निवासी _____ जिला _____ राज्य _____ को या उनके न होने पर
 श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ जिला _____
 राज्य _____ बैंक ऑफ बड़ौदा, “बड़ौदा भवन”, सर सयाजी हॉल, भूतल, प्रधान कार्यालय, आर सी दत्त रोड,
 अलकापुरी, वडोदरा - 390007, गुजरात, सोमवार, 21 जनवरी, 2019 को दोपहर 12.00 बजे बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरधारकों की होने वाली असाधारण सामान्य
 बैठक में मेरी /हमारी ओर से बैठक में भाग लेने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं.

दिनांक _____ माह _____ 2018/2019 को हस्ताक्षरित

रसीदी
टिकट

प्रॉक्सी/ प्रथम धारक / एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर _____

नाम : _____

पता : _____

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने एवं इसे जमा करने संबंधी अनुदेश

- प्रॉक्सी का लिखत तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि -
 - एकल शेयरधारक व्यक्ति के मामले में, शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा
 - संयुक्त धारकों के मामले में, यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा
 - निकाय कार्पोरेट के मामले में, लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत इसके अधिकारी अथवा अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो.

बशर्त प्रॉक्सी लिखत शेयरधारक द्वारा उपयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए परंतु यदि किसी कारण से वह अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उसके अंगूठे का निशान लगाया गया है तब यह तभी वैध माना जायेगा जब इसे किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेन्सेस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो.
- विधिवत स्टांपित होने एवं मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत हस्ताक्षर किए गये हैं अथवा उस मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार की प्रति जो कि किसी नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट या किसी प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की गयी हो के साथ बैंक के प्रधान कार्यालय को बैंक ऑफ बड़ौदा, केवाईसी - एएमएल विभाग, सातवां तल, बड़ौदा भवन, आर.एस. नंबर 576, आर.सी. दत्त रोड, सेंटर प्वाइंट के सामने, अलकापुरी,

- वडोदरा (गुजरात) 390 005 के पास असाधारण सामान्य बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् 16 जनवरी 2019 को सायं 4.00 बजे या उससे पहले जमा किए जाने पर ही प्रॉक्सी को वैध माना जाएगा. यदि संबंधित मुख्तारनामा पहले से ही पंजीकृत है तो मुख्तारनामे की पंजीकरण संख्या तथा तारीख का उल्लेख किया जाना चाहिए.
- प्रॉक्सी का लिखत फॉर्म “बी” में होने पर ही वैध माना जाएगा.
- बैंक के पास जमा किया गया प्रॉक्सी - लिखत अप्रतिसंहरणीय और अंतिम होगा.
- विकल्प के तौर पर दो गारंटियों के पक्ष में दिए गए प्रॉक्सी-लिखत के मामले में, एक से अधिक फॉर्म को निष्पादित नहीं किया जाएगा.
- प्रॉक्सी-लिखत निष्पादित करने वाला शेयरधारक असाधारण सामान्य बैठक में व्यक्तिगत रूप में मतदान का हकदार नहीं होगा.
- किसी भी व्यक्ति को, जो बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है, ऐसा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा.
- प्रॉक्सी धारक संकल्प के पक्ष या विपक्ष में वोट दे सकता है.
- प्रॉक्सी फॉर्म में किए गए सभी परिवर्तन विधिवत रूप से अधिप्रमाणित किए जाने चाहिए.

Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda - 390 006.

FORM "B"

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholders)

Regd. Folio No.		DP ID	
		Client ID	
(If shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
No. of Shares			

I / We _____ resident/s of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder / shareholders of the Bank of Baroda, hereby appoint Shri/Smt _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ or failing him / her, Shri / Smt _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ as my / our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the **Extraordinary General Meeting** of the Shareholders of the Bank of Baroda to be held on Monday, 21st January 2019 at 12.00 Noon at Bank of Baroda, "Baroda Bhavan", Sir Sayaji Hall, Ground Floor, Head Office, R.C. Dutt Road, Alkapuri, Vadodara - 390007, Gujarat., and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2018/2019

Signature of Proxy/Signature of first named / Sole shareholder

Name _____

Address _____

Revenue
stamp

Instructions for signing and lodging the Proxy Form

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
 - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney, duly authorized in writing, or
 - b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/ her attorney, duly authorized in writing, or
 - c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.

Provided that an instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark/thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Baroda.

2. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank at Bank of Baroda, KYC-AML Department, 7th Floor, Baroda Bhavan, R. S. No. 576, R C Dutt Road, Opp. Centre Point, Alkapuri, Vadodara -390007, not less than **FOUR DAYS** before the date fixed for the Extra-ordinary General Meeting, i.e. on or before 4.00 p.m. on **16th January 2019** together with the Power of Attorney or other authority

(if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank/its Registrar and Share Transfer Agent. If already registered, the Registration No. and Date be provided.

3. No instrument of the proxy shall be valid unless it is in Form "B"
4. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
5. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one Form shall be executed.
6. The granter of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the General Meeting to which such instrument relates.
7. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Baroda.
8. The proxy holder may vote either "FOR" or "AGAINST" the resolution.
9. All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.



बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

India's International Bank